



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-30012026-269662
CG-GJ-E-30012026-269662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947

No. 65]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 27 जनवरी, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2026

आईएफएससीए/जीएन/2026/006.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025 (जिसे इसके बाद प्रमुख विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- मुख्य विनियमों के विनियम 7 में, उप-विनियम (5) में, खंड (ख) को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“खंड (क) के अधीन दर्शाई गई अर्हताओं के अतिरिक्त, किसी पात्र संस्थान में प्रतिभूति बाजार या वित्तीय उत्पाद में संबंधित कार्यकलापों में कम से कम पांच (5) वर्ष का अनुभव:

बशर्ते कि उप-विनियम (2) के अधीन बताए गए केएमपी के लिए, यदि ऐसे केएमपी के पास व्यावसायिक अर्हता है, खंड (ख) में दर्शाया गया अनुभव न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक होगा:

बशर्ते यह भी कि आईएफएससी, भारत या किसी भी विदेशी अधिकार क्षेत्र में अर्हता के बाद किसी पात्र संस्थान में कम से कम 2 (दो) वर्ष के अनुभव वाला व्यक्ति और जिसके पास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट वैध प्रमाणन (प्रमाणपत्र) हैं, उसे उप-विनियम (2) के अधीन बताए गए केएमपी के लिए पात्र माना जाएगा:

बशर्ते यह भी कि आईएफएससी, भारत या किसी भी विदेशी अधिकार क्षेत्र में किसी पात्र संस्थान में अर्हता के बाद कम से कम 3 (तीन) वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति और जिनके पास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट वैध प्रमाणन (प्रमाणपत्र) हैं, उन्हें उप-विनियम (1), (3) और (4) के अधीन दर्शाए गए केएमपी के लिए पात्र माना जाएगा।

स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजन के लिए, “पात्र संस्थान” में निम्नलिखित शामिल होंगे -

- i) बाजार अवसंरचना संस्थान, पूंजी बाजार मध्यस्थ, वित्तीय क्षेत्र नियामक, एफएमई बैंक, वित्त कंपनियां, बीमा कंपनियां, और आईएफएससी में बीमा मध्यस्थ, और भारत या किसी भी विदेशी अधिकार क्षेत्र में समकक्ष संस्थान;
- ii) आईएफएससी, भारत या किसी भी विदेशी अधिकार क्षेत्र में ऊपर (i) में उल्लिखित संस्थानों को वित्तीय उत्पाद के संबंध में सेवाएं प्रदान करने वाली परामर्श कंपनी / सलाहकार कंपनी / चार्टर्ड अकाउंटेंट / कंपनी सचिव / लागत लेखाकार कंपनी; और
- iii) निजी या सार्वजनिक कोई कंपनी, यदि उसे ऐसी कंपनी के वित्त/लेखा/सचिवीय/विधि विभागों से संबंधित अनुभव प्राप्त है।

3. मुख्य विनियमों के विनियम 19 में, उप-विनियम (3) में, परंतुक को निम्नलिखित परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि यदि कोई एफएमई, विनियम 23 के उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट न्यूनतम कोष का आकार, निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसके पास नियोजन ज्ञापन की वैधता बढ़ाने का विकल्प होगा, जिसमें, नियोजन ज्ञापन की विद्यमान वैधता के समाप्त होने के अगले दिन से प्रत्येक ऐसा विस्तार छः (6) माह की अवधि के लिए होगा, और इसके लिए नियोजन ज्ञापन की वैधता समाप्त होने से पूर्व आवेदन फाइल करना होगा और इसके साथ निम्न के बराबर शुल्क देना होगा -

- i) पहले विस्तार के लिए, नई योजना फाइल करने के लिए ऐसे विस्तार के समय यथा-प्रचलित लागू शुल्क का पच्चीस प्रतिशत (25%) ; और
- ii) हर अगले विस्तार के लिए, नई योजना फाइल करने के लिए ऐसे विस्तार के समय यथा-प्रचलित लागू शुल्क का पचास प्रतिशत (50%)।”

4. प्रमुख विनियमों के विनियम 35 में,

- i. उप-विनियम (1) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि एक ओपन-एंडेड योजना द्वारा गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश केवल 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का न्यूनतम कॉर्पस प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।”

- ii. उप-विनियम (2) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि यदि कोई एफएमई तय समय सीमा के भीतर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का न्यूनतम कोष आकार प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसके पास नियोजन ज्ञापन की वैधता बढ़ाने का विकल्प होगा, जिसमें ऐसा प्रत्येक विस्तार छः (6) माह की अवधि के लिए होगा, जो नियोजन ज्ञापन की विद्यमान वैधता समाप्त होने के अगले दिन से शुरू होगा, और इसके लिए नियोजन ज्ञापन की वैधता समाप्त होने से पूर्व आवेदन फाइल करना होगा, साथ में निम्न के बराबर शुल्क देना होगा -

- i) पहले विस्तार के लिए, नई योजना फाइल करने के लिए ऐसे विस्तार के समय यथा-प्रचलित लागू शुल्क का पच्चीस प्रतिशत (25%);
- ii) प्रत्येक आगामी विस्तार के लिए, नई योजना फाइल करने के लिए ऐसे विस्तार के समय यथा-प्रचलित लागू शुल्क का पचास प्रतिशत (50%);

5. मुख्य विनियमों के विनियम 131 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड समाविष्ट किये जाएंगे, अर्थात्: -

“(ग) यदि एफएमई ने योजना के अधीन निवेशकों से निधि जुटाई है, लेकिन नियोजन ज्ञापन या पेशकश दस्तावेज की वैधता या विस्तार वैधता, जो भी लागू हो, के दौरान वह न्यूनतम कोष प्राप्त करने में विफल रहता है, और एफएमई ने आवश्यक आवेदन द्वारा और प्राधिकरण को शुल्क का भुगतान करके इसकी वैधता नहीं बढ़ाई है।

(घ) जब योजना में किसी निवेशक को शामिल नहीं किया गया है और कोई निधि संग्रहीत नहीं की गई है और एफएमई स्वेच्छा से इसे बंद करना चाहता है।”

6. मुख्य विनियमों के विनियम 132 में, स्पष्टीकरण II को निम्नलिखित स्पष्टीकरण से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“स्पष्टीकरण II. – ऐसी योजनाओं के मामले में जिन्हें उपर्युक्त उपबंध के अनुसार आईएफएससी में संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है, ऐसी नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2026 के आरंभ होने की तारीख से चौबीस (24) माह के भीतर की जा सकती है, इस अवधि के दौरान एफएमई भारत में, या किसी भी विदेशी अधिकार क्षेत्र में, जो उस अधिकार क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित हो, स्वतंत्र संरक्षक नियुक्त कर सकता है और जब भी ऐसा करने का निदेश दिया जाए, वह प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है।”

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./640/2025-26]

नोट:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2025, जो मुख्य विनियम हैं, को 13 फरवरी, 2025 को फाइल संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/002 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2025 को 30 जुलाई, 2025 को फाइल संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/007 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 27th January, 2026

International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2026

IFSCA/GN/2026/006.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2025, (hereinafter referred to as the principal regulations), namely: -

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 7 of the principal regulations, in sub-regulation (5), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

“In addition to the qualifications mentioned under clause (a), an experience of at least five (5) years in related activities in the securities market or financial products in an eligible institution:

Provided that for the KMP referred under sub-regulation (2), the experience mentioned in clause (b) shall be required for a minimum period of 3 (three) years, if such KMP possesses a professional qualification:

Provided further that an individual with post-qualification experience of at least 2 (two) years in an eligible institution in IFSC, India or any foreign jurisdiction and who holds valid certification(s), as specified by the Authority, shall be considered eligible for the KMP referred under sub-regulation (2):

Provided also that individuals with a post-qualification experience of at least 3 (three) years in an eligible institution in IFSC, India or any foreign jurisdiction and who holds valid certification(s), as specified by the Authority, shall be considered eligible for the KMP referred under sub-regulations (1), (3) and (4).

Explanation. – For the purpose of this clause, “eligible institution” shall include the following -

- i) Market Infrastructure Institutions, Capital Market Intermediaries, financial sector regulators, FMEs, Banks, Finance Companies, Insurance Companies, and Insurance Intermediaries in IFSC, and equivalent institutions in India or any foreign jurisdiction;
 - ii) consulting firms / advisory firms / firms of Chartered Accountants / Company Secretaries / Cost Accountants in IFSC, India or any foreign jurisdiction, providing services to the institutions mentioned above in (i), in relation to a financial product; and
 - iii) a company, whether private or public, if the experience is in relation to finance/ accounts/ secretarial/ law departments of such company.
3. In regulation 19 of the principal regulations, in sub-regulation (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -
- “*Provided* that if a FME fails to achieve the minimum size of corpus, as specified under sub-regulation (1) of regulation 23, within the specified time period, it shall have the option to extend the validity of the placement memorandum, wherein each such extension shall be for a period of six (6) months starting from the day after the expiry of the existing validity of the placement memorandum, by filing an application at such time when the placement memorandum is still valid, accompanied by a fee equal to -
- i) for the first extension, twenty-five per cent. (25%) of the applicable fee for filing of a fresh scheme, as may be prevalent at the time of such extension; and
 - ii) for each subsequent extension, fifty per cent. (50%) of the applicable fee for filing of a fresh scheme, as may be prevalent at the time of such extension.”
4. In regulation 35 of the principal regulations,
- i. in sub-regulation (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“*Provided* further that the investments by an open-ended scheme in unlisted securities shall be undertaken only upon achieving the minimum corpus of USD 3 Million.”

- ii. in sub-regulation (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“*Provided* further that if a FME fails to achieve the minimum size of corpus of USD 3 Million within the specified time period, it shall have the option to extend the validity of the placement memorandum, wherein each such extension shall be for a period of six (6) months starting from the day after the expiry of the existing validity of the placement memorandum, by filing an application at such time when the placement memorandum is still valid, accompanied by a fee equal to -

- i) for the first extension, twenty-five per cent. (25%) of the applicable fee for filing of a fresh scheme, as may be prevalent at the time of such extension; and
ii) for each subsequent extension, fifty per cent. (50%) of the applicable fee for filing of a fresh scheme, as may be prevalent at the time of such extension”

5. In regulation 131 of the principal regulations, in sub-regulation (1), after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(c) If the FME has raised funds from the investors under the scheme but fails to achieve the minimum corpus during the validity or extended validity of the placement memorandum or offer document, as applicable, and the FME has not extended the validity thereof by making the requisite filing and payment of fee to the Authority.

(d) When no investors have been onboarded into the scheme and no funds have been collected and the FME voluntarily desires to wind up the same.”

6. In regulation 132 of the principal regulations, for the Explanation II, the following Explanation shall be substituted, namely: -

“*Explanation II.* – In case of schemes which are required to appoint custodian in IFSC in terms of the abovementioned provision, such appointment may be made within twenty four (24) months from the date of commencement of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulation, 2026, during which period the FME may appoint an independent custodian in India, or any foreign jurisdiction, which is regulated by the financial sector regulator in that jurisdiction and make necessary arrangement to provide such information to Authority whenever directed to do so.”

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./640/2025-26]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2025, the principal regulations, were published in the Gazette of India on February 13, 2025, vide F. No. IFSCA/GN/2025/002.
2. International Financial Services Centres Authority (Fund Management) (Amendment) Regulations, 2025, were published in the Gazette of India on July 30, 2025, vide F. No. IFSCA/GN/2025/007.